P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-11* July- 2021

E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गांधीजी की सामाजिक समानता
Gandhi's Social Equality

Paper Submission: 05/07/2021, Date of Acceptance: 15/07/2021, Date of Publication: 24/07/2021

मंजु लाडला
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

गांधीजी सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक समानता से ही एक आदर्श, नैतिक व न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने कार्य विभाजन की व्यवस्था के रूप मे तो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है, परन्तु वर्णों एवं उनके कार्यो की असमानता का विरोध किया हैं। पारिवारिक समानता से प्रारम्भ करते हुए उन्होंने महिला-पुरूष की समानता, महिला अधिकारों एवं महिलाओं को परिवार में उचित सम्मान देने का समर्थन किया हैं। कायिक श्रम की अनिवार्यता, ट्रस्टीशिप का सिद्वान्त, सर्वोदय का संदेश, अश्पृश्यता उन्मूलन इत्यादि विचार उनकी सामाजिक समानता एवं समरसता के ही प्रमाण है। उन्होने समाज सुधारक के रूप में भारत में व्याप्त बुराइयों पर कठोर प्रहार करते हुए समाज के नव-निर्माण का प्रयास किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र गांधीजी के इसी सामाजिक चिन्तन से संबंधित है। गांधीजी के सामाजिक समानता से संबंधित विचारों तथा इस दिशा में उनके द्वारा किये गये प्रयासों को शोध -पत्र से समाहित किया गया हैं। गांधीजी के सामाजिक विचार एवं उनके द्वारा किये गये व्यावहारिक सुधारों का अध्ययन एव विश्लेशण करके निष्कर्ष निकाला गया हैं, साथ ही वर्तमान में प्रांसगिकता को स्पष्ट किया गया हैं।

"मेरा पुर्नजन्म ही हो तो मैं अछूत पैदा होना चाहूंगा ताकि मैं उनके दुःखों, कष्टों और अपमानों का भागीदार बनकर स्वंय को और उन्हे इस दयनीय स्थिति से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर संकू। इसलिए मेरी प्रार्थना हैं कि यदि मेरा पुर्नजन्म हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप मे न हो बल्कि अतिशूद्र के रूप मे हो।[1]

-महात्मा गांधी

Gandhi ji was a strong supporter of social equality. He believed an ideal, moral and justified society, could be established only through social equality. Therefore he has accepted the varna system as a system of division of work, but has opposed the inequality of varna and there functions. Starting with the family equality, he has advocated equality of women and men, women's rights and giving due respect to women in the family. The essentials of manual labour, the principle of trusteeship, the message of sarvodaya, the abolition of untouchability etc are the proofs of his social equality and harmony. As a social reformer, he has tried hard for the construction of new society by attacking the evils prevailing in India.

The present research paper is related to social thought of Gandhi ji. Gandhi ji's ideas related to social equality and efforts made by him in this direction have been included in the research paper. The study and analysis of Gandhi ji's social thought and practical reforms made by him, has been concluded as well as the relevance of present day has been clarified.

"If Iam reborn, I would like to be born as an untouchable so that I can be a participant in their sorrows, sufferings and humilations, trying to get rid of myself and them from this pitiable condition. That is why, I pray that if I am reborn, then I should not be Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Shudra, but as Atishudra."

-Mahatma Gandhi

मुख्य शब्द सामाजिक समानता, न्यायनिष्ठ समाज, कायिक श्रम, सर्वोदय, नव निर्माण, पारिवारिक समानता। social equality, justified society, manual labour, family equality, sarvodaya, reformer, construction.

प्रस्तावना

गांधीजी नैतिक आधारों पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। जिसमें सत्य, अंहिसा सेवा भावना, आत्मनिर्भरता और अपने हितों के स्थान पर दूसरों के हितों को अग्रसर करने की प्रवृत्ति समाज के सभी सदस्यों को अनुप्रेरित करे। ऐसी सामाजिक प्रणाली जिसमें समाज की संरचना विकेन्द्रीकरण के सिद्वान्त पर आधारित होगी और उसमें अन्याय या शोषण के लिए कोई स्थान नही हो सकता। अर्थात स्वराज्य संबंधी गांधीवादी अवधारणा ऐसे समाज की संकल्पना है, जो जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान की विभिन्नताओं के बावजूद समानता पर आधारित हैं।

शोध के उद्देश्य

1. गांधीजी के सामाजिक समानता व समरसता के विचारों को स्पष्ट करना।
2. सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा देना।
3. गांधीजी के सामाजिक चिन्तन का प्रचार-प्रसार करना।
4. समाज में व्याप्त छूआछूत, भेदभाव एवम् ऊँच-नीच की भावना के विरूद्ध जनमत जागृत करना।
5. महिला अधिकारों एवं महिला सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना
6. श्रम की महत्ता प्रतिप्रादित करना।
7. लोकतांत्रिक शासन में सामाजिक लोकतंत्र की महत्ता प्रतिपादित करना।
8. वर्तमान में गांधीजी की पारिवारिक एंव सामाजिक समानता की प्रांसगिकता सिद्व करना।

साहित्यावलोकन

1. मेरे सपनों का भारत-एम. के गांधी -सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणासी 1969
2. एन ऑटोबायोग्राफी, एम. के गांधी -नवजीवन, अहमदाबाद 1972
3. पोलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गाँधी -वी पी वर्मा-सर्वोदय आगरा 1980
4. स्टडीज ऑन गांधी-वी. टी. पाटिल-स्टलिंग पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली 1983
5. कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-डिवीजन पब्लिकेशन्स, भारत सरकार नई दिल्ली 1984
6. गांधी चिन्तन -के. एल. कमल-जयपुर पब्लिशिंग हाउस 1988
7. महात्मा गांधी के विचार-आर. के. प्रभु-यू आर राव-नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली 1994
8. महात्मा गांधी का समाज दर्शन- महादेव प्रसाद, हरियाणा साहित्य अकादमी 2002
9. गांधीवाद समाजवाद, डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद-नमन प्रकाशक, नई दिल्ली, 2007
10. गांधी दर्शन के विविध आयाम-प्रो0 बी. एम. शर्मा-राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 2009
11. सम्पूर्ण गांधी वांगमय-सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
12. गांधीजी के स्वदेश वापिसी के 100 वर्ष-डॉ0 रजी अहमद - प्रभात प्रकाशन 2015
13. Why Gandhi Still matters' An Appraisal of the Mahatma's legacy RajmohanGandi – Aleph book company 2017
14. Gandhi 1914-1948' The years that Changed the world –Ramchandra Ghua – kindle edition 2018
15. Bing Gandi- PARO Anand – Colling Publishers 2020
16. Restless As Mercury – my Life as a yoang man –Gopalkrishna Gandi- Rupa Publication New delhi 2021

प्राकल्पनांए

1. गांधीजी सामाजिक समानता एवं समरसता के सूत्रधार थे।
2. समाज में आज भी जन्म, धर्म, जाति के आधार पर ऊँच-नीच भेद्भाव व्याप्त हैं।
3. विधिक समानता के बावजूद भी देश में साम्प्रदायिक घटनांए होती रहती हैं।
4. गांधीजी महिला सशक्तीकरण के समर्थक थे।
5. शारीरिक श्रम को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है।
6. राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता हेतु सामाजिक लोकतंत्र पूर्व शर्त हैं।
7. समाज मे समानता व समरसता की भावना का विकास करने वाले गांधीजी के विचार एवं प्रयास आज भी प्रांसगिक हैं।

शोध प्रविधि

गांधीजी के सामाजिक चिन्तन एवं उनके विचारों को स्पष्ट करने एवं उनकी प्रांसगिकता को सिद्व करने के लिए गांधीजी की विभिन्न रचनाएं, उपलब्ध गांधी साहित्य, विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों की रचनाएं, पत्र-पत्रिकाओं में छपे लेख इत्यादि का अध्ययन कर सामग्री प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त गांधीवादी, प्रबुद्व, विचारक, गांधी अध्ययन केन्द्र संचालकगण प्रबुद्व शिक्षकगण एंव शोधार्थियों से चर्चा करके भी तथ्यों का संकलन किया गया है। इस तरह प्राथमिक एंव द्वितीयक दोनों ही स्त्रोतों से तथ्य व जानकारी प्राप्त करके, अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन कार्य किया गया है।

वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का आधार

"गांधीजी के अनुसार वर्ण व्यवस्था मूल रूप से समाज के सदस्यों की क्षमताओं के अनुसार उनके कर्तव्यों के विभाजन की वैज्ञानिक प्रणाली है।2 उनका मानना था कि कर्तव्यों का व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार चार भागों में वर्गीकरण, प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्वान्त मात्र नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। " ज्ञान का सृजन व विस्तार, सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग, धन और सम्पदा का संग्रह और वितरण तथा मानव जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक सेवाएं जुटाना मानवीय गातिविधियों का एक सहज वर्गीकरण है।3 वर्ण व्यवस्था इन्ही सहज प्रवृत्तियों के अनुसार समाज के पृथक-पृथक चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) की परिकल्पना पर आधारित हैं।

वर्ण व्यवस्था का गांधीजी ने समर्थन किया, किन्तु इस संबंध में उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी और परम्परावादी नहीं था। उनके अनुसार वर्णो का संबंध, किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष गतिविधि सम्पन्न करने में उसकी स्वभाविक दक्षता से है किसी विशेष वर्ण की सदस्यता को व्यक्ति की सामाजिक श्रेष्ठता या निम्नता का आधार नहीं बनाया जा सकता है अर्थात इसका उद्देश्य वर्णो के सदस्यों में हीनता या श्रेष्ठता का भेद उत्पन्नकरना नहीं है।

वर्णो में सहयोग एवम् अर्न्तनिर्भरता

क्षमताओं के अनुरूप कर्तव्यों का वर्गीकरण, वर्णो के पृथक्करण का आधार नही है, अपितु समस्त वर्णो के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के मध्य पारस्परिकता और सहयोग वृत्ति को सुनिश्चित करता है। इसको स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने कहा कि " एक वर्ण का सदस्य , दूसरे वर्ण के सदस्यों के कार्यो के प्रति उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना का भाव नहीं रख सकता है क्योकि अपने वर्ण से जुड़े हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए, वह स्वंय भी दूसरे वर्ण के सदस्यों द्वारा किये गये किसी कार्य पर अनिवार्य रूप से निर्भर रहता है।"4 इस प्रकार वर्ण व्यवस्था समाज को वर्णो के रूप में विभाजित नहीं करती अपितु विभिन्न वर्णो के सदस्यों के मध्य सौहार्द और प्रेम के माध्यम से सामाजिक एकता को सुनिश्चित करती है।

कार्यो की समानता

गांधीजी के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णो से जुडे हुए कार्यो की समानता का सिद्वान्त स्वीकार किया जाना चाहिए। एक मोची, बढ़ई, नाई या मेहत्तर का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण और गरिमामय है जितना कि किसी चिकित्सक, वकील या शिक्षक का कार्य। इसी सोच के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, तो समाज में संघर्ष व टकराव नही होगा। साथ ही व्यक्ति कोई विशिष्ट कार्य सम्पन्न कर सकने की अपनी स्वभाविक क्षमताओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत, भौतिक स्वार्थो की पूर्ति के लिए नही अपितु सामाजिक हित और स्वंय की आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से प्रेरित होकर करेगा।

जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वभाविक आधार

" वर्ण जन्म से प्राप्त हो जाता हैं किन्तु उसका संरक्षण

उससे जुड़े हुए दायित्वों के पालन द्वारा ही होता है। जैसेः-ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न बालक ब्राह्मणमाना जायेगा, किन्तु यदि बड़ा होने पर वह ब्राह्मणके कर्तव्यों और सदगुणों के अनुरूप आचरण नहीं करता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाना अनुचित है। दूसरी और कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण न हो किन्तु अपने आचरण में ब्राह्मण के सदगुणों को अभिव्यक्त करे तो उसे ब्राह्मणमाना जायेगा, भले ही वह स्वंय इसका दावा न करे।[5]

'वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को मानते हुए गांधीजी ने स्पष्ट किया कि इसका तात्पर्य केवल यह हैं कि व्यक्ति अपनी जीविका के लिए, स्वभाविक रूप से उस वर्ण से जुड़े हुए व्यवसाय को चुनेगा, जिसमें कि उसका जन्म हुआ हैं। उसके द्वारा दूसरे वर्णों के कार्यो का ज्ञान प्राप्त करने तथा कालान्तर में उन कार्यो मे रूचि होने पर दूसरे वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपना लेने से वर्ण व्यवस्था के नियम का किसी भी रूप से निषेध नही होताहै।[6]

वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था पूरक है

गांधीजी वर्ण व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ मानते थे। जीवन के चार चरणों का ब्राम्हचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम के रूप से विभाजन भारतीय ग्रन्थों मे प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का सार हैं। उन्होने कहा कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्यों का विभाजन तो करता है, उसे अपने जीवन के विभिन्न चरणों का भी सार्थक विभाजन कर लेना चाहिये। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के साथ जुड़कर ही अधिक सार्थक होती है। यह दोनो एक दूसरे पर निर्भर और पूरक है।

अश्पृश्यता निवारण

अभिप्राय

अश्पृश्यता भारतीय समाज की ऐसी कुप्रथा है जिसके अनुसार समाज की कुछ जातियां ऐसी है जिनमें जन्म लेने मात्र से व्यक्ति अस्पृश्य हो जाता है। सामाजिक जीवन की वरीयता क्रम मे उस जाति विशेष को निकृष्टतम (सबसे नीची) समझा जाता। श्रेष्ठ जातियां न तो उनके साथ विवाह संबंध रखती है, न उनके साथ मिल बैठकर भोजन करती है और न ही उन्हे सार्वजनिक सुविधाओं को अपने साथ साझा करने की अनुमति देती है। उन जातियों को निकृष्ठ कार्य, अन्य जातियों द्वारा अस्वच्छ समझे जाने वाले कार्य ही सौंपे जाते थें, जैसे मल उठाना, गंदगी साफ करना, मृत पशुओं का चमड़ा निकालना, मृत लोगो से जुड़े हुए रीति-रिवाज करना आदि। चुंकि ये लोग इस तरह की गतिविधियों मे लगे रहे और धीरे -धीरे इन पर अस्पृश्य की मुहर लग गई। हांलाकि बाद मे यह समुदाय तथाकथित अस्वच्छ कार्य नहीं कर रहे थे, तब भी इन्हे अपनी जाति के कारण अस्पृश्य समझा गया और इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा। गांधीजी ने इस प्रचलित अस्पृश्यता के विरोध में युद्व स्तर पर अभियान छेड़ा।

अस्पृष्यता सामाजिक कंलक

गांधीजी को बाल्यावस्था मे ही अस्पृश्यता का बर्ताव विवेक बुद्वि के प्रतिकूल एवं असंगत व्यवहार लगा। बाद में दक्षिण -अफ्रीका के अपने अनुभवों से, (जहॉ प्रत्येक अश्वेत व्यक्ति को अछूत समझा जाता था, चाहे वह पढ़ा लिखा या सम्पन्न ही क्यों न हो,)गांधीजी ने जाना कि अछूत समझा जाना और दुत्कारा जाना कितना कष्टदायक अनुभव है। इसी कारण से अस्पृश्यता निवारण की दिशा मे प्रयासरत रहे।

''गांधीजी अस्पृश्यता को सामाजिक कंलक की संज्ञा देते थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता मिथ्या अभिमान और स्वार्थ वृत्ति का ही सामाजिक रूप है और आत्मा का हनन करने वाला घोरतम पाप है। यह भारतीय समाज पर एक बदनुमादाग है और मानवता के विरूद्व क्रूरतम अपराध है।7

''गांधीजी राजनीतिक स्वतंत्रता से भी ज्यादा अस्पृश्यता निवारण को महत्व देते थे। उनकी मान्यता थी कि ''अस्पृश्यता का उन्मूलन किये बिना स्वराज्य की प्राप्ति असंभव भी है और निरर्थक भी है।8 ''गांधीजी ने कहा कि अस्पृश्यता एक घुन है जो हिन्दु समाज मे दरारे पैदा कर अंदर ही अंदर खाये जा रहा है।9यह पापमूलक प्रथा किसी भी धर्म का अंश नही, बल्कि मानवता के विरूद्व घोर अपराध है। यह एक कृत्रिम चींज है। इसका लोगो के बौद्विक या नैतिक विकास से कोई संबंध नही है। अस्पृश्यता को अपनाना अथवा उसे सहन करना घोर अधर्महै और ईश्वर का अपमान है। इसके द्वारा मानव मात्र की एकता के आध्यामिक सिद्वान्त तथा सत्य और अंहिसा के शाश्वत मूल्यों का उल्लघंन होता है। उन्होंने कहा कि यह विचार मात्र कि कुछ लोग ऊँचे और अन्य निम्न हैं, ईश्वर का अपमान है अतः अश्पृश्यता विवेक, धर्म और सत्य तीनों के विश्द्व है।

अस्पृश्यता निवारण की दिशा मे प्रयास

हरिजन

स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा, समाज मे निम्न समझे वाले वर्ण शूद्रों के प्रति शताब्दियों से किये जा रहे अन्याय के प्रतिकार के लिए गांधीजी ने शूद्रों को ''हरिजन'' की संज्ञा दी, जिसका शब्दिक अर्थ था ''ईश्वर का व्यक्ति। गांधीजी ने कहा कि ''सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान हैं, अतः स्वर्ण हिन्दुओं ने शूद्रो के प्रति अब तक अस्पृश्यता के रूप में अन्याय करके वास्वत में ईश्वर की सता को चुनौती दी हैं। अस्पृश्यता रूपी अन्याय में भागी होने के कारण वे ईश्वर के विश्द्व किये गये पाप के अपराधी है। अब तक अछूत ने अपने हाथ हमारे मल और गंदगी को उठा कर मैले किये है ताकि हम आराम और सफाई से रह सके, वही हमने उसके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय उसका दमन करने में गर्व का अनुभव किया । इन अछूत समझे जाने वाले लोगों की जवीन पद्वति में यदि कमियां या दोष है तो उनके लिए हम ही पूरी तरह उत्तरदायी है। अतः उनके प्रति किये गये अन्याय का प्रायश्चित करके हम भी हरिजन (ईश्वर का व्यक्ति) हो सकते है।''10गांधीजी ने स्वंय अछुतों से जिन्हे वे हरिजन कहते थे, इतना प्यार किया कि वे उन्ही के बीच रहते और खाते -पीते थे।

जन जागरूकता

अश्पृश्यता की बुराई के विरूद्व लोगों मे जागरूकता पैदा करने का प्रयास गांधीजी ने किया। उन्होने यह कार्य अपने समाचार पत्र हरिजन, हरिजन सेवक व हरिजन बंधु के माध्यम से किया।

हरिजन सेवक संघ

हरिजनों के उत्थान के लिए समर्पित 'हरिजन सेवक संघ' की भी स्थापना की गई ।

सार्वजनिक स्थानों एवं मंदिरों मे प्रवेश

हरिजनों के लिए हिन्दू मंदिरों के द्वार खोलना, सामाजिक आयोजनों एवं उत्सवों में समान रूप से सम्मिलित होने देना, कुंओं और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने का समान रूप से अवसर प्रदान करना इत्यादि कार्यक्रम अपनाये गये। देश के विभिन्न क्षेत्रों मे इस तरह के आंदोलनों को समर्थनदिया।

हरिजन दौरे

अश्पृश्यता के खिलाफ अपना संदेश फैलाते हुए उन्होने सम्पूर्ण भारत मे व्यापक 'हरिजन दौरे' किये।

स्वर्ण हिन्दुओं को समझाना

अश्पृश्यता का व्यवहार करने वाली तथाकथित उच्च जातियों के लोगो के पास गांधी जी गये और तर्कपूर्ण ढंग से उन्हे समझाया कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार धर्मसंगत नहीं है। उन्होने कहा कि इतनी शताब्दियों से अपने बंधुओं के साथ ऐसा मानवीय व्यवहार करने के दण्ड स्वरूप तथाकथित उच्च जातियों को प्रायश्चित करना चाहिये।

हरिजनों को उपदेश

गांधीजी ने न केवल स्वर्ण हिन्दुओ/उच्च जातियों को समझाया बल्कि उन्होने हरिजनों को भी उपदेश दिया कि वे मांस न खाये, शराब न पीये, जुआ न खेले, अपने कुव्यवसनों को दूर करने और दूसरों की छोडी हुई झूठन स्वीकार न करे।

सामाजिक जागृति एवं हृदय पविर्तन की आवश्यकता

''गांधीजी के अनुसार अश्पृश्यता को केवल बाहरी

आचरण में समाप्त कर देना पर्याप्त नही है अपितु उसे तो हृदय से निकालना होगा। यह तभी संभव होगा जब व्यक्तियों के मन से ऊँच-नीच के सभी भेद और जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन समझने का भाव जड़ से निकल जाये। इसके लिए सभी व्यक्तियों की ईश्वर मे यह आस्था होना आवश्यक है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है और ईश्वर हम सभी के साथ समान रूप से न्याय करता है। "11 उन्होने यह भी कहा कि अश्पृश्यता निवारण का कार्य केवल कानून निर्माण या सरकारी हस्तक्षेप से पूरा नही होगा। इसके लिए कानूनी प्रावधान के साथ -साथ व्यापक सामाजिक जागृति और लोगो के हृदय परिवर्तन की आवश्कयता होगी।

कायिक श्रम की अनिवार्यता

गांधीजी का मानना था कि कायिक श्रम की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेने से विभिन्न व्यवसायों के मध्य भेदभावों का आधार ही समाप्त हो जायेगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी व्यवसाय मे लगा हो, वह अपने उस व्यवसाय के अतिरिक्त अपनी निर्वाह की आवश्यकताएं जुटाने हेतु भौतिक श्रम तो निश्चित रूप से करेगा। इस प्रकार श्रम की प्रतिष्ठा व्यक्ति के अर्न्तमन मे व्याप्त होगी। साथ ही व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों मे भेदभाव नहीं करने की प्रेरणा भी प्रदान करेंगी। "इस प्रकार शरीर श्रम का विचार समानता और सामाजिक सद्भाव दोनो को एक साथ सुनिश्चित करेगा । '12शारीरिक श्रम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि " जो बिना श्रम किये हुए खाते है वे चोर है"13 इस सिद्वान्त के माध्यम से गांधीजी शूद्र वर्ण की निम्न स्थिति में भी सुधार करना चाहते थे। इसके द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे समानता, ऊँच-नीच के भेदभाव की समाप्ति एवं श्रम की महत्ता स्थापित कर सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते थे।

अर्न्तजातीय विवाह एंव भोज

"जाति प्रथा एंव जातीय भेदभाव को सामाजिक कंलक मानते हुए गाँधीजी उसे दूर करना चाहते थे। गांधीजी ने कहा कि विभिन्न वर्णों के लोग परस्पर विवाह कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं यदि कोई ब्राह्मणलड़का शूद्र लड़की से विवाह करता है या शुद्र लड़की ब्राह्मणलड़के से विवाह करती है तो इससे वर्णों के नियम का कोई उल्लंघन नहीं होता है"14 दहेज प्रथा को दूर करने हेतु भी गांधीजी ने अर्न्तजातीय विवाह का समर्थन किया है अतः अर्न्तजातीय विवाह एवं भोज के माध्यम से भी गांधीजी एक तरह से सामाजिक समानता व समरसता ही कायम करना चाहते थे।

स्त्री-पुरूष की समानता

"गांधीजी ने समाज मे स्त्रियों एंव पुरूषों की समानता पर बल देते हुए कहा कि "स्त्रियों को पुरुषो के समान ही समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए"15 महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि परिवार में महिला के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिये। घर संचालन के उसके दायित्व को उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिये जितना कि किसी सामाजिक या सार्वजनिक कार्य को। गांधीजी ने अनेक बुराईयां जैसे-सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्यावृति इत्यादि का विरोध किया और इनके विरूद्ध जनमत जागृत करने का कार्य किया। उन्होने विधवा विवाह, अन्तजार्तीय विवाह, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता तथा महिला शिक्षा का समर्थन किया। उन्होने महिला को अबला नही बल्कि सबला मानते हुए उसे पुरूष की सहकार्मिणी माना है। स्त्रियां सत्य, अंहिसा, धैर्य, त्याग, सहिष्णुता तथा हृदय की पवित्रता इत्यादि गुणों को धारण करने मे तो निश्चित रूप से पुरूषों से अधिक सक्षम हैं।

इस तरह गांधीजी एक आदर्श समाज की कल्पना करते थे जिसमें स्त्रियां बिना किसी प्रतिबंध के सक्रिय भागीदारी निभांए और उन्हे पुरूषोंके समान अपनी शैक्षणिक, बौद्विक और नैतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो। पारिवारिक समानता एंव समरसता सामाजिक एवं राष्ट्रीय समानता एवं सदभाव की पूर्ण शर्त है।

ट्रस्टीशिप

गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्वान्त भी एक तरह से सामाजिक सुधार व सद्भाव का ही प्रतीक है। इस सिद्वान्त के अनुसार हमें स्वंय को अपने धन का स्वामी नहीं, बल्कि न्यासी मानना चाहिये और अपनी सेवा के उचित पारिश्रमिक से अधिक को अपने पास न रखते हुए शेष का समाज सेवा पर लगा देना चाहिए। "इससे न कोई अमीर होगा और न कोई गरीब होगा। धर्म जाति या आर्थिक शिकायतों को लेकर उठने वाले झगड़े विश्वशंाति को भंग करना बंद कर देगे। " 16इस तरह इससे न केवल आर्थिक समानता स्थापित होगी बल्कि सामाजिक विकास एंव सामाजिक सदभावना भी स्थापित करने मे सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष एंव प्रांसगिकता

गांधीजी से पहले कोई भी अश्पृश्यता के विरूद्व अभियान को उच्च भावनात्मक और यथार्थवादी स्तर तक नही ले जा सका जितना उसे गांधीजी ले गये। बड़े पैमाने पर लेखन, दौरे एव निजी सम्पर्क कार्यक्रमों के द्वारा उन्होंने अश्पृश्यता के मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केन्द्रीय मंच पर ला खड़ा करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर उन्होंने हिन्दू जाति के अन्तःकरण को झकझोर दिया। गांधीजी ने संदेश दिया कि "जब तक हम अछूतों को अपने गले नही लगायेगे, हम मनुष्य नही कहला सकते। यदि हिन्दुओं के हृदय से अश्पृश्यता रूपी जहर निकाल दिया गया तो इसका प्रभाव न केवल भारत मे समस्त जातियों पर बल्कि सम्पूर्ण विष्व पर कल्याणकारी पड़ेगा।"17

अपने प्रयास मे उन्हे महान सफलता मिली और स्वंतत्र भारत के संविधान में 'समानता का अधिकार' एक मौलिक अधिकार के रूप मे शामिल किया गया। साथ ही अश्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों से परिवर्तमन तो आया है, परन्तु दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कुछ की अपेक्षा रखती है तथाकथित उच्च जाति से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे अभी भी इनके साथ पूर्ववत् भेदभाव वाली स्थिति हैं। गांधीजी की कल्पना में बैठे हुए निर्धनतम व्यक्ति अभी भी हासिये पर खड़े है। जिन गरीबों के बारे मे गांधीजी चिन्तित थे, उनकी दशा आज भी सोचनीय है।

वर्ण व्यवस्था मे वर्णों की समानता व अर्न्तनिर्भरता, व्यवसायों मे समानता, वर्ण के कर्तव्यों के अनुसार व्याख्या, कायिक श्रम की अनिवार्यता, ट्रस्टीशिप का सिद्वान्त, अर्न्तजातीय विवाह एवं भोज इत्यादि संदेश एवं कार्यक्रम सामाजिक सदभाव एवं समरसता स्थापित करने के सरानीय प्रयास रहे है।

भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनुरूप नारी जागरण एवं उत्थान के मौलिक प्रतिमान गांधीजी ने प्रस्तुत किये है "स्त्रियों को पराधीन, शोषित, दमित, पतित बनाने वाली एवं उनके व्यक्तित्व के विकास को अवरूद्व करने वाले तमाम् विधानो, रिवाजो, रूढ़ियों, का विरोध करने, उनके विरूद्व लोकमत जागृत करने तथा स्त्रियों को हर दृष्टि से पुरूष के समकक्ष अधिकार दिलाने का कार्य जिस तरह गांधीजी ने किया, उसके लिए भारतीय स्त्रियां उनकी ऋणी रहेगी।"18 परिवार मे महिला का सम्मान एवं उसके गृह कार्य को उचित महत्व देने के प्रयास करके पारिवारिक समरसता स्थापित करने में योगदान दिया है। महिला सशक्तीकरण के जो आयाम गांधीजी ने उस काल में प्रस्तुत किये आज भी वे विचार अपनी मौलिकता के कारण प्रांसगिक व समसामयिक है। गांधीजी ने नारी उत्थान की जो ज्योत जलायी उसे आज भी संरक्षित रखने की महत्ती आवश्यकता स्त्री समाज महसूस करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि गांधीजी के सामाजिक विचार प्रगतिशील है और वे एक न्यायनिष्ठ और समतामय समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते है। साथ ही इनकी आज भी प्रांसगिकता बनी हुयी हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *यंग इण्डिया, 04 मई 1921 अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र- बंबई एवं अहमदाबाद से प्रकाशित*
2. *नवजीवन, 4 अप्रैल 1925, गुजराती साप्ताहिक पत्र:गांधीजी द्वारा संपादित, अहमदाबाद से प्रकाशित*
3. *महात्मा गांधी- दक्षिण अफ्रीका के सत्यागृह का इतिहास दक्षिण 4 मार्च 1923*
4. *डॉ0 मधुकरश्याम चतुर्वेदी -प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक सी बी एच पृ सं0 304*
5. *यंग इण्डिया, 6 अक्टुबर 1921, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र- बंबई एवं अहमदाबाद से प्रकाशित*
6. *हरिजन, 9 अप्रैल 1933, अंग्रेजी साप्ताहिक, हरिजन सेवा संघपूनासे प्रकाशित*
7. *कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खण्ड 26 पृ0 सं0 508*
8. *अमृत बाजार, 2 मई 1915, कलकता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक*
9. *डॉ0 ए. अवस्थी- भारतीय राजनीतिक चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर पृ0 सं0 308*
10. *हरिजन, 18 अगस्त 1940-अंग्रेजी साप्ताहिक हरिजन सेवा संघपूना से प्रकाशित*
11. *यंग इण्डिया, 6 अगस्त 1931- अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र-बंबई एवम् अहमदाबाद से प्रकाशित*
12. *एम. के. गांधी -सत्यागृह का इतिहास, नवजीवन पब्लिकेशन्स हाउस अहमदाबाद 1959, पृ0 सं0 40*
13. *यंग इण्डिया, 13 अक्टुबर 1921,- अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र-बंबई एवम् अहमदाबाद से प्रकाशित*
14. *वही-4 जून 1931 पृ. सं. 129*
15. *आर. के प्रभू. यू. आर. रावः महात्मा गांधी के विचार एन बी टी इण्डिया, पृ0 सं0 103*
16. *महात्मा गांधी, मेरे सपनों का भारत, राजपाल पृ0 सं0212*
17. *डॉ0 दिव्या सिंह, गांधी और स्त्री विमर्शवाद, गांधी दर्शन समसामयिक विश्व से प्रांसगिकता, पृ0 सं0 86-90*
18. *पत्र-पत्रिकांए - राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इण्डिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण*
19. *ई-संदर्भ*